extra copy

कार्यालय/न्यायालय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री संजय कुमार पाठक, ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, (सदस्य)
श्री दिनेश कुमार, एडिशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0 एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ, (सदस्य)

सर्वश्री भारत एग्रो,
प्लॉट सं0.C–1, सेक्टर–B3, त्रोनीका सिटी,
UPSIDC इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, गाजियाबाद, उ0प्र0–201102
GSTIN- 09AGUPB8298F1ZQ (आवेदक)

आवेदक की ओर से :— श्री दीपक सिन्धु (अधिकृत प्रतिनिधि)
विभाग की ओर से:— ....

केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 तथा उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 की धारा–98 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय।

श्री संजय कुमार पाठक (सदस्य)

केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 तथा उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 की धारा–98 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय हेतु दाखिल प्रश्नगत आवेदन पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा प्रश्नगत आवेदन के माध्यम से निम्न बिन्दु पर अग्रिम विनिर्णय की अपेक्षा की गयी है:—

"HSN Classification for Pealed Sliced Pineapple, Put up in air tight unit container in Sugar Syrup."

आवेदन पर सुनवाई हेतु श्री दीपक सिन्धु, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी इकाई द्वारा Pineapple की खरीद करके इसकी सफाई के उपरांत इसके गोलाकार Slices तैयार किए जाते हैं, जिन्हें पंच करके 80°–85°C तापमान पर Sugar Syrup में रखा जाता है तथा इन्हें Steaming Process से गुजारने के बाद Air Tight Container में पैक किया जाता है। सुनवाई हेतु उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस पूरी प्रक्रिया में Pineapple का मूल स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है तथा यह Pineapple ही रहता है। उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस प्रक्रिया में Pineapple का मूल स्वरूप परिवर्तित न होने के कारण यह Fresh Pineapple की भाँति ही प्रयोग किया जाता है। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके मत से उनके द्वारा Sugar Syrup में पैक किये जाने वाले Pineapple का HSN Code 0804 है तथा यह केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. 02/2017– Central Tax (Rate) दिनांक 28.06.2017 तथा उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. KANI-2/837/XI-9(47)/17-U.P. XR-1-2017-Order-(07)-2017 दिनांक 30.06.2017 के तहत करमुक्त है। उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उनकी इकाई में होने वाली प्रक्रिया को वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। Pineapple को Sugar Syrup में पैक किए जाने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:—

न्यायालय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण जी.एस.टी. उत्तर प्रदेश

Process flowchart

Pineapple slices in syrup

Ingredients: Pineapple, sugar, water and citric acid.

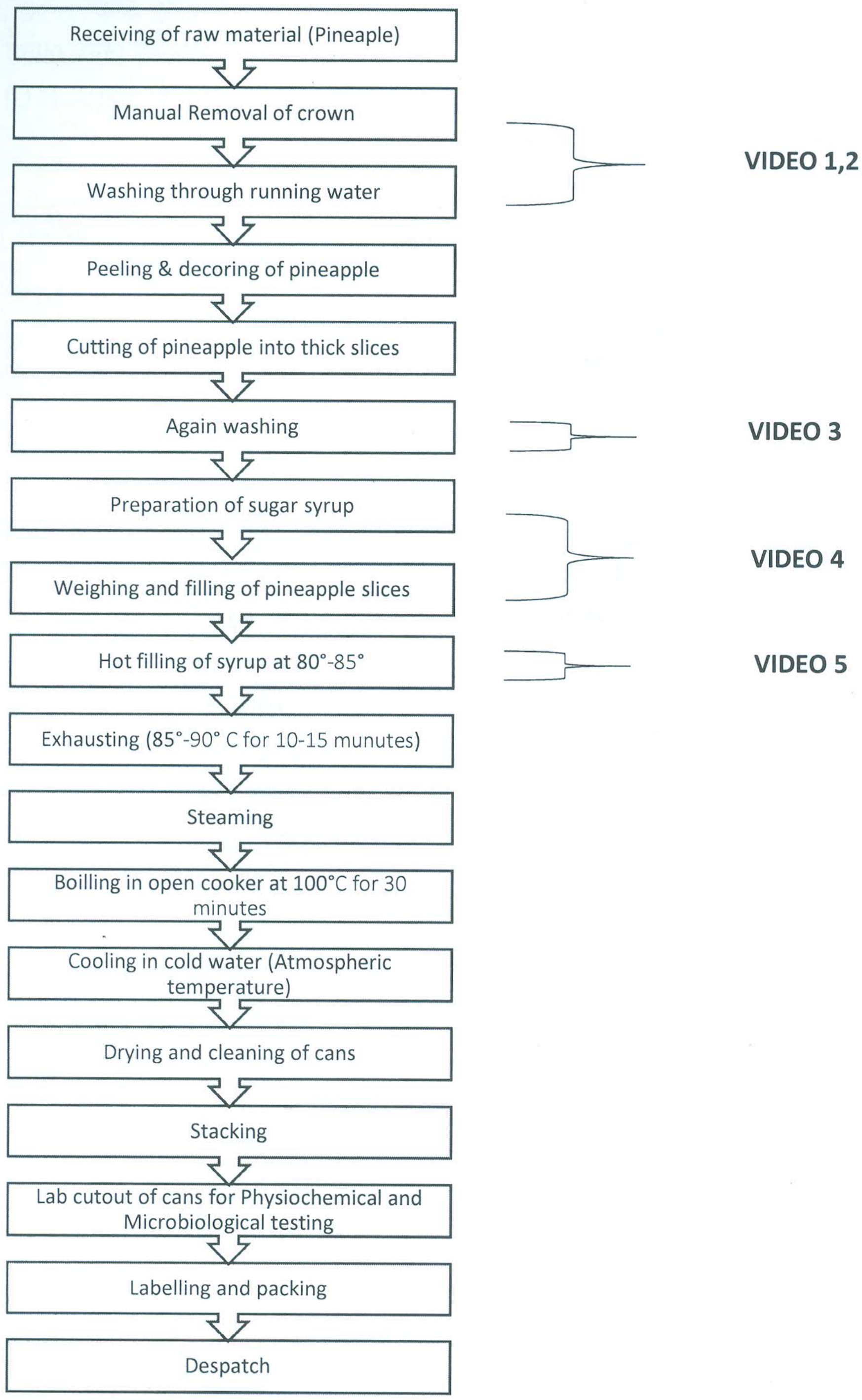

अपने कथन के समर्थन में उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा Deputy Commissioner, Sales Tax ....vs Pio Food Packers on 9 May, 1980 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकरण द्वारा कई अन्य मामलों में पारित निर्णयों को संदर्भित किया गया।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. 02/2017– Central Tax (Rate) दिनांक 28.06.2017 तथा उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. KANI-2/837/XI-9(47)/17-U.P. XR-1-2017-Order-(07)-2017 दिनांक 30.06.2017 का प्रविष्टी क्रमांक 51 निम्नवत हैः–

S.No.	Chapter/Heading/ Subheading/Tariff item	Description of Goods
51.	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, **fresh.**

उक्त प्रविष्टि से स्पष्ट है कि करमुक्ति केवल fresh Pineapple के संबंध में लागू है। आवदेक द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया में Fresh Pineapple को Peeling, Cutting, Washing, Steaming/Cooking तथा Cooling के उपरांत Air Tight Container में Sugar Syrup के साथ पैक किया जाता है। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया से प्राप्त Pineapple Slices, fresh Pineapple नहीं है।

जी0एस0टी0 Rate Schedule के अन्तर्गत जारी विज्ञप्तियों में Custom Tariff Act, 1975 (51 of 1975) के First Schedule में वर्णित Tariff Item, sub heading, heading एवं Chapter को अंगीकार किया गया है। इस अधिनियम के Chapter 20 तथा Tariff Item/sub heading/heading निम्नवत हैं:–

Chapter 20
Preparations of Vegetables, Fruits, Nuts or other parts of Plants

Tariff Item	**Description of goods**
(1)	**(2)**
2008	**Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included**
	- Nuts, ground-nuts other seeds, whether or not mixed together:
2008 11 00	- Ground-nuts......................................
2008 19	- Other, including mixtures :
2008 19 10	- Cashew nut, roasted, salted or roasted and salted.........

2008 19 20	-	Other roasted nuts and seeds............................
2008 19 30	-	Other nuts, otherwise prepared of preserved................
2008 19 40	-	Other roasted and fried vegetable products..................
2008 19 90	-	Other...
2008 20 00	-	Pineapples...

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि "Canned Pineapple Slices, dipped in sugar syrup" Tariff Item No.2008 के अन्तर्गत आते हैं। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. 01/2017– Central Tax (Rate) दिनांक 28.06.2017 (यथा संशोधित) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. KANI-2-836/XI-9(47)/17-U.P.ACT-1-2017-Order-(06)-2017 दिनांक 30.06.2017 (यथा संशोधित) के Schedule -II की प्रविष्ट क्रमांक 40 निम्नवत है:–

S.No.	Chapter/Heading/ Subheading/Tariff item	Description of Goods
40.	2008	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included; such as Ground-nuts, Cashew nut, roasted, salted or roasted and salted, Other roasted nuts and seeds, squash of Mango, Lemon, Orange, Pineapple or other fruits

उक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा संदर्भित न्यायिक निर्णयों के तथ्य प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में लागू नहीं होते । इकाई द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से प्राप्त "Canned Pineapple Slices, dipped in sugar syrup" Tariff item No.- 2008 के अन्तर्गत आते हैं तथा इन पर 6 प्रतिशत की दर से CGST तथा 6 प्रतिशत की दर से SGST की देयता है।

विनिर्णय

"Canned Pineapple Slices, dipped in sugar syrup" Tariff item No.- 2008 के अन्तर्गत आते हैं तथा इन पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. 01/2017– Central Tax (Rate) दिनांक 28.06.2017 (यथा संशोधित) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. KANI-2-836/XI-9(47)/17-

U.P.ACT-1-2017-Order-(06)-2017 दिनांक 30.06.2017 (यथा संशोधित) के Schedule -II के तहत 6 प्रतिशत की दर से CGST तथा 6 प्रतिशत की दर से SGST की देयता है।

ह0 21.05.2018
(दिनेश कुमार)
एडिशनल कमिश्नर
(जी0एस0टी0 एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ।
(सदस्य)

ह0/21.05.2018
(संजय कुमार पाठक)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(सदस्य)

सत्य प्रतिलिपि

21.05.2018
(संजय कुमार पाठक)
सदस्य

आदेश सं0 05 **अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण उ0प्र0** **दिनांक** 21.05.2018

प्रतिलिपिः–

1. चीफ कमिश्नर, सेन्ट्रल जी0एस0टी0 एवं सेन्ट्रल एक्साइज, लखनऊ, सदस्य, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।
2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, सदस्य, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।
3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, वाणिज्य कर, जोन–प्रथम, गाजियाबाद के माध्यम से सम्बंधित क्षेत्राधिकार के करनिर्धारण अधिकारी हेतु।
4. ज्वाइण्ट कमिश्नर, सेन्ट्रल जी0एस0टी0 कमिश्नरेट, गाजियाबाद।
5. सर्वश्री भारत एग्रो, प्लॉट सं0.C–1, सेक्टर–B3, ट्रोनीका सिटी, UPSIDC इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, गाजियाबाद, उ0प्र0–201102